

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- 3226 / 14-1, बरेली, दिनांक, 23 / अप्रैल / 2024

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :- जनपद शाहजहापुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731 किमी 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/३१५/२०२२/एफ०सी०/४५९ दिनांक- २७-१२-२०२३, एवं आपका पत्रांक- 1524/11सी- FP/UP/Road/157254/2022 दिनांक 29.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहापुर ने अपने पत्रांक -3027/14-1 दिनांक 19-04-2024 के द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	आपत्ति का विवरण	अनुपालन आख्या
01	In view of condition No-8, Road side plantation shall be raised by state forest department at the cost of User Agency and Scheme for roadside plantation shall be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं० 8 के आलोक में अपने उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में शाहजहापुर वन प्रभाग, हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले रोड साइट पटरी वृक्षारोपण में वांछित आगणन में प्रास्तावित धनराशि को भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु बचनबद्धता प्रमाण-पत्र एवं शाहजहापुर वन प्रभाग, हरदोई वन प्रभाग का प्रतिहस्ताक्षरित प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- (1)/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग शाहजहापुर को उनके पत्रांक- 3027/14-1 दिनांक 19.04.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 3027 / 14-1 शाहजहांपुर, दिनांक, 19/04/2023

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव बरेली वृत्त बरेली।

विषय :-

जनपद शाहजहांपुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731 किमी 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०-FP/UP/Road/157254/2022.

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन का पत्रांक-8बी /यू०पी०/०६/३१५/२०२२/एफ०सी०/४५९ दिनांक २७-१२-२०२३ एवं कार्यदायी संस्था का पत्र दिनांक १७००३/४/पी०के०जी०-२ए०-१/२०२२/पी०आई०यू० बरेली /२०८२५ दिनांक १६-०४-२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अतिरिक्ति मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ को सम्बोधित एवं इस कार्यालय तथा आपको प्रेषित है के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में वांछित सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु सं०-८ के अनुपालन में वांछित सूचना मय संलग्नक सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

Condition No	Condition's	Status of Compliance
1	In view of Condition No-8, Road side plantation shall be raised by State Forest Department at the cost of User Agency and Scheme for roadside plantation shall be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं०-८ के आलोक में अपने उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में शाहजहांपुर वन प्रभाग, हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले रोड साइट पटरी वृक्षारोपण में वांछित आगणन में प्रास्तावित धनराशि को भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु बचन बद्धता प्रमाण-पत्र एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग, हरदोई वन प्रभाग का प्रतिहस्ताक्षरित प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार। (दो प्रति में)

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

पत्रांक

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2:- परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई बरेली।
- 3:- प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग हरदोई।

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली

Project Implementation Unit, Bareilly

282/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)

282/01, Greater Green Park, Near Bishop Convent School, Bareilly - 243 006 (U.P.)

फोन/फैक्स : 91-581 3501150 • ई-मेल/E-mail : bareillypiu@nhai.org, piubareilly@gmail.com



17003/4/PKG-2A-I/2022/PIU-Brly/20825

16.04.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग

जनपद-शाहजहाँपुर।

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 731 (पैकेज-2A) के हरदोई-लखनऊ मार्ग के किमी0 88.750 से किमी0 123.650 तक चार लेन चौड़ाईकरण कार्य के अंतर्गत शाहजहाँपुर वन प्रभाग में 109075 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लान्ट एवं हरदोई वन प्रभाग के अंतर्गत 12540 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 152 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लान्ट सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 हे0 संरक्षित वनभूमि के गौर वानिकी प्रयोग एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में (ऑनलाइन प्रस्ताव सं. FP/UP/Road/157254/2022).

--सड़क के किनारे वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र के संबंध में।

संदर्भ:- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ का पत्रांक 8वीं/यू0पी0/06/315/2022/एफ.सी./321 दिनांक 22.08.2023.

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ का पत्रांक 8वीं/यू0पी0/06/315/2022/एफ.सी./459 दिनांक 27.12.2023.

सहोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति(स्टेज-1) प्रदान की गयी थी।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने संदर्भित पत्र दिनांक 27.12.2023 द्वारा EDS इंगित गयी है कि सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) के शर्त संख्या-8 के अनुसार सड़क के किनारे वृक्षारोपण हेतु राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी की लागत पर सड़क किनारे वृक्षारोपण के लिए योजना प्रदान की जायेगी। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, शाहजहाँपुर एवं हरदोई द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु आगणन उपलब्ध करायी गयी है।

4. भारतीया प्राधिकरण द्वारा विषयान्तर्गत वन विभाग द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु मांगी गयी आगणन धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में बचनबद्धता प्रमाण-पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु मांगी गयी धनराशि का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र को उचित माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, लखनऊ को अग्रसारित करने की कृपा करें, ताकि विषयक वन प्रस्ताव की विधेयता स्वीकृति (स्टेज-2) हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(बी0पी0 पाठक)

परियोजना निदेशक

संलग्नक

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

2. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली

Project Implementation Unit, Bareilly

282/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)

282/01, Greater Green Park, Near Bishop Conrod School, Bareilly - 243 006 (U.P.)

फोन/टेल. : 91-581 3501150 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com



सड़क के किनारे वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-731 (पैकेज-2A) के किमी 88.750 से किमी 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य के अर्न्तगत जनपद शाहजहाँपुर वन प्रभाग के अर्न्तगत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन एवं जनपद हरदोई वन प्रभाग के अर्न्तगत 1.2540 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 152 वृक्षों के पातन सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति निंक 22.08.2023 के शर्त सं.-8 के अनुपालना में संबंधित प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी द्वारा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करने हेतु आगणन के अनुसार मांग की गयी धनराशि को भार.रा.रा. प्राधिकरण द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध है।

(बी०पी० पाठक)

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली (उ०प्र०)

21/08/23



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow



कन्दील भवन, आरक्षण सक्षेत्र, एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2260000
Email: Lucknow@moef.nic.in, delima@moef.nic.in

पत्र सं० : एच/फु/सो/20 315 2022 एच/सो/459

17-12-2023

सवि ग

आरक्षक मुख्य सचिव,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/157254/2022

विषय शान्तिपुर शाहजहाँपुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 731 कि०मी० 68.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहाँपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 1202 वृक्षों के पतन/ट्रान्सप्लान्ट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 192 वृक्षों के पतन/ट्रान्सप्लान्ट सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वाणिज्यिक प्रयोग को अनुमति एवं कुल 1308 वृक्षों के पतन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 1308/11-सी- FP/UP/Road/157254/2022, दिनांक 21.11.2023

मलख उपरोक्त विवरणों के अन्तर्गत प्रदेश शासन के पत्रांक 3602/81-2-2022-800(371)/2022, दिनांक 14.12.2022 का अन्तर्गत प्रस्तुत करने का अर्थ है, जिसके द्वारा विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (सरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी है।

प्रस्तावित प्रकरण में एच कार्यालय को सम-संलग्न पत्र दिनांक 24.08.2023 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सहायक स्वीकृति जारी की गयी थी जिसमें अनुपालना उपरोक्त सन्तर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है। प्रेषित अनुपालना पर प्रत्यक्ष मुख्य मुझे आपका यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सहायक स्वीकृति की शर्त संख्या 08 की अनुपालना प्रेषित नहीं की गयी है। अतः आपका सूचना/प्रतिक्रिया परिसर पोर्टल पर अपलोड करने हुए इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का पत्र करे ताकि प्रकरण में अगले की कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें।

1. In view of Condition no. 8, Roadside plantation shall be raised by State Forest Department at the cost of User agency and scheme for roadside plantation shall be provided.

सहायक,

(डी० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महासंचालक (प्रशासन)

प्रतिलिपि (इंग्लिश):

1. प्रधान मुख्य वन संचालक (सक्षेत्र), वन विभाग, 17, सभा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संचालक (सक्षेत्र) एवं नोडल अधिकारी, 17, सभा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संचालक, लखनऊ मण्डल संचालक एवं वन संचालक, बरेली वृत्त, बरेली।
4. प्रशासनिक निदेशक, सा०वा० प्रभाग, शाहजहाँपुर एवं हरदोई।
5. परियोजना निदेशक, भा०रा०रा० प्राधिकरण, कानूनीय इकाई ग्रीन पार्क, बरेली।
6. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, बापू भवन, लखनऊ।

(डी० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महासंचालक (प्रशासन)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1624 /11सी- FP/UP/Road/ 157254/2022 दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 29, 2023

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, शाहजहाँपुर एवं हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करें।

प्रतिलिपि- परियोजना निदेशक, भा०रा०रा० प्राधिकरण कानूनीय इकाई ग्रीन पार्क बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-8

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक

3455/14-1 (NHAI-731-2A) हरदोई

दिनांक- ११-४-2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
शाहजहाँपुर।

विषय:- जनपद शाहजहाँपुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731 किमी 88.750 से 123.650 तक चार जेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहाँपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में (Package-2A) (Proposal No-FP/UP/ROAD 157254/2022)

सन्दर्भ:- 1- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-8बी/यूपी/06/315/2022/FC/459 दिनांक-27-12-2023
2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-1624/11-सी- FP/UP/Road/157254/ 2022 दिनांक-29-12-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731 किमी 88.750 से 123.650 के मध्य दोनों पट्टरी के किनारे रिक्त भूमि पर कुल 600 पौधों का एच.डी.पी.ई. आयसन सपोर्ट ट्री-गार्ड रोपण हेतु प्राक्कलन लागत योजना रु०-11,53,700.00 (रु०-ग्यारह लाख तिरपन हजार सात सौ मात्र) योजना को मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(शशिकांत अमरेश)
प्रभागीय निदेशक,

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

पत्रांक-3455/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ
- 2-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र० लखनऊ।
- 3-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली।

(शशिकांत अमरेश)
प्रभागीय निदेशक,

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

एच.डी.पी.ई. आयरन सपोर्ट ट्रीगार्ड में वृक्षारोपण का प्राविकलन

एच.डी.पी.ई. बेलनक राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731 किमी०-121.880 से किमी०-123.650 (कुल 1.760 किमी०) के गन्ध बायीं/दायीं पट्टी के किनारे एक पवित में कुल 600 पौधों के रोपण का प्राविकलन

प्रथम चरण (एच.डी.पी.ई. आयरन सपोर्ट ट्रीगार्ड निर्माण एवं रोपण)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	स्वतः सफाई एवं मलबा पिकपाई व गदगद खुदान (0.60X0.60X0.60)	600	प्रति गदगद	20.10	12060.0
2	गदगदों में गोबर की खाद	600	प्रति गदगद	10.42	6252.0
3	गदगदों में कालचराक दवा कय तथा मिलाना	600	प्रति गदगद	1.52	912.0
4	गदगदों में गोबर की खाद भिलाकर भरना	600	प्रति गदगद	1.60	960.0
5	पौधों का मूल्य मय बुलान सहित (विभागीय पौधशाला से)	600	प्रति पौध	89.51	53706.0
6	पौधों का स्थानीय बुलान	600	प्रति पौध	2.49	1494.0
7	पौधारोपण सिंचाई व धावला बनवाई	600	प्रति पौध	5.63	3378.0
8	एच.डी.पी.ई. आयरन सपोर्ट ट्रीगार्ड मोनोग्रान	600	प्रति पौध	1180.0	708000.0
9	पौधों की सिंचाई मय डोजल की कीमत आदि के (5 बार)	600	प्रति पौध	7.42	4452.0
10	पौधों की निराई, गुड़ाई एवं धाला बनवाई (02 बार)	1200	प्रति पौध	1.29	1548.0
11	अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित	600	प्रति पौध	16.51	9906.0
				योग	802668.0
				अथवा	802668.0

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 7 बार	4200	प्रति पौध	8.04	33768.0
2	पौधों की सिंचाई अक्टूबर से मार्च तक (04 बार)	2400	प्रति पौध	7.35	17640.0
3	पौधों की निराई गुड़ाई (02 बार)	1200	प्रति पौध	1.29	1548.0
4	एच.डी.पी.ई. आयरन सपोर्ट ट्रीगार्ड की मरम्मत, पौधों का बदलना सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित	60	प्रति	111.58	6694.8
5	अन्य आकस्मिक व्यय	600	प्रति पौध	10.70	6420.0
				योग	66070.8
				अथवा	66070.0

तृतीय चरण (अनुरक्षण-प्रथम)

क्र.सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 6 बार	3600	प्रति पौध	8.04	28944.0
2	एच.डी.पी.ई. आयरन सपोर्ट ट्रीगार्ड की मरम्मत, पौधों का बदलना सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित	60	प्रति	111.58	6694.8
3	अन्य आकस्मिक व्यय	600	प्रति पौध	1.47	882.0
				योग	36520.8
				अथवा	36520.0

प्रभागीय निदेशक

राज्य वन एवं ग्रन्थ जीव प्रभाग

हरदोई

चतुर्थ चरण (अनुरक्षण-द्वितीय)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 6 बार	3600	प्रति पौध	8.04	28944.0
2	एन.डी.पी.ई. आयरन सपोर्ट ड्रोनार्ड की मरम्मत, पौधों का बदलना सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित	60	प्रति	111.58	6694.8
3	अन्य आकस्मिक व्यय	600	प्रति पौध	1.47	882.0
				योग	36520.8
				अथवा	36520.0

पंचम चरण (अनुरक्षण-तृतीय)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 6 बार	3600	प्रति पौध	8.04	28944.0
2	अन्य आकस्मिक व्यय	600	प्रति पौध	1.47	882.0
				योग	29826.0
				अथवा	29826.0

षष्ठम चरण (अनुरक्षण-चतुर्थ)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 5 बार	3600	प्रति पौध	8.04	28944.0
2	अन्य आकस्मिक व्यय	600	प्रति पौध	1.47	882.0
				योग	29826.0
				अथवा	29826.0

सप्तम चरण (अनुरक्षण-पंचम)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 4 बार	3600	प्रति पौध	8.04	28944.0
2	अन्य आकस्मिक व्यय	600	प्रति पौध	1.47	882.0
				योग	29826.0
				अथवा	29826.0


प्रभागीय निदेशक
 सा.व.वा. वन एवं पशु जीव प्रशासन
 हरदोई

योजना सारांश

क्र.सं.	परियोजना-विवरण	धनराशि (रु० में)	राशि कायम की 2022-23 के बाद प्रारम्भ किया जाया है तो भविष्य में अनुमानित व्यय/आय, इसके 5 प्रादेशों के प्रकार/वर्ग की धनराशि	5 प्रादेशों में सहित कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1	प्रथम चरण	802668.0	10153.4	812821.4
2	द्वितीय चरण	66070.0	1001.5	67071.5
3	तृतीय चरण (अनुसूचित प्रयोग)	36520.0	1826.0	38346.0
4	चतुर्थ चरण (अनुसूचित द्वितीय)	36520.0	1826.0	38346.0
5	पंचम चरण (अनुसूचित-तृतीय)	29826.0	1491.3	31317.3
6	षष्ठम चरण (अनुसूचित-चतुर्थ)	29826.0	1491.3	31317.3
7	सप्तम चरण (अनुसूचित-पंचम)	29826.0	1491.3	31317.3
8	पूर्वांशपूर्ण योग	1031256.0	51562.8	1082818.8
9	प्रारम्भिक लागत या 60% प्रादेशों में अनुमानित प्रारम्भिक प्रमाण (समस्त प्रादेशों)	728400.0	70898.0	799298.0
10	योग			1155600.0

(ध्यान-रु०-प्रारम्भ-लागत-मध्यम-हजार-रु०-सी मात्र)

अनुमानित किया जाता है कि प्रारम्भिक मुख्य वन सार्वजनिक बाग़/बाग़ 3000 लघुमूलक के कार्यालय
प्रारम्भिक किया जाया है कि प्रारम्भिक मुख्य वन सार्वजनिक बाग़/बाग़ 3000 लघुमूलक के कार्यालय
प्रारम्भिक किया जाया है कि प्रारम्भिक मुख्य वन सार्वजनिक बाग़/बाग़ 3000 लघुमूलक के कार्यालय

प्रारम्भिक प्रमाणित

अनुमानित निदेशक
सहायक वन अधिकारी जवन प्रमाण,
प्रमाणित

अनुमानित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- 2893 / 14-1, बरेली, दिनांक, 22/मार्च/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहाँपुर।

विषय :- जनपद शाहजहाँपुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731 किमी 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहाँपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2536/14-1 दिनांक 23-02-2024 (जे इस कार्यालय में दिनांक 15-03-2024 को प्राप्त हुआ है।)

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र से भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यूपी/06/315 /2022/ एफ० सी०/321, दिनांक 22.08.2023 के अनुपालन में प्रभाग में रिक्त स्थानों पर 320 ब्रिक गार्ड निर्माण करने हेतु प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपके द्वारा संदर्भित पत्र से प्रेषित प्राक्कलों को प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में इस निर्देश के साथ वापिस किये जा रहे हैं कि भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यूपी/06/315 /2022/ एफ० सी०/321, दिनांक 22.08.2023 के अनुपालन नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- (1)/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा० परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 282/01 ग्रीन पार्क बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।



ब्रिकगार्डों में वृक्षारोपण कार्य की सीलिंग दरें श्रममजदूरी 201 प्रति मानव दिवस प्रथम चरण (320 ब्रिकगार्डों के निर्माण एवं रोपण पर व्यय)

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा)

क्रम सं०	कार्य का विवरण	मात्रा/संख्या	इकाई	दर	धनराशि
		320	प्रति गड्ढा	20.10	6432.00
1	स्थल सफाई एवं मलवा फिकवाई व गड्ढा खुदान (0.60X0.60X0.60)	320	प्रति गड्ढा	10.42	3334.40
2	गड्ढों में गोबर की खाद	320	प्रति गड्ढा	1.52	486.40
3	गड्ढों में कीट नाशक दवा क्रय तथा मिलाना	320	प्रति गड्ढा	1.60	512.00
4	गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर भरना	320	प्रति पौध	89.51	28643.20
5	पौधों का मूल्य ढुलान सहित (विभागीय पौधशाला से)	320	प्रति पौध	2.49	796.80
6	पौधों का सीनीयय ढुलान	320	प्रति पौध	5.63	1801.60
7	पौधरोपण सिंचाई व थावला बनवाई	320	प्रति ब्रिकगार्ड	3100	992000.00
8	ब्रिकगार्ड का निर्माण मोनोग्राम सहित	320	प्रति पौध	7.42	11872.00
9	पौधों की सिंचाई मय डीजल की कीमत आदि के (5बार)	1600	प्रति पौध	1.29	825.60
10	पौधों की निराई-गुड़ाई एवं थावला बनवाई (2 बार)	640	प्रति पौध	16.51	5283.20
11	अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित	320	प्रति पौध	योग:-	1051987.20

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम)

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून (12 बार)	3840	प्रति पौध	8.04	30873.60
2	पौधों की सिंचाई अक्टूबर से मार्च (5 बार)	1600	प्रति पौध	7.35	11760.00
3	पौधों की निराई-गुड़ाई (2बार)	640	प्रति पौध	1.29	825.60
4	ब्रिकगार्डों की मरम्मत पौधों का बदलना सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित	320	प्रति	265.67	85014.40
5	अन्य आकस्मिक व्यय	320	प्रति पौध	10.7	3424.00
			योग:-		131897.60

तृतीय चरण (अनुरक्षण द्वितीय)

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून (8 बार)	2560	प्रति पौध	8.04	20582.40
2	मरम्मत पौध बदलना आदि (सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित)	320	प्रति	265.67	85014.40
3	अन्य आकस्मिक व्यय	320	प्रति	1.47	470.40
			योग:-		106067.20

चतुर्थ चरण (अनुरक्षण तृतीय)

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून (8 बार)	2560	प्रति पौध	8.04	20582.40
2	मरम्मत पौध बदलना आदि (सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित)	320	प्रति	265.67	85014.40
3	अन्य आकस्मिक व्यय	320	प्रति	1.47	470.40
			योग:-		106067.20

पंचम चरण (अनुरक्षण चतुर्थ)

1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून (8 बार)	2560	प्रति पौध	8.04	20582.40
2	मरम्मत पौध बदलना आदि (सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित)	320	प्रति	265.67	85014.40
3	अन्य आकस्मिक व्यय	320	प्रति	1.47	470.40
			योग:-		106067.20

षष्ठम चरण (अनुरक्षण पंचम)				
1	पौधों की सिवाई अप्रैल से जून (6 बार)	2560	प्रति पौध	8.04
2	गरममत पौध बदलना आदि (सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित)	320	प्रति	265.67
3	अन्य आकस्मिक व्यय	320	प्रति	1.47
योग-				106067.20
सारांश (प्रति हे0 व्यय)				
		10 % वृद्धि		कुल धनराशि
प्रथम चरण (अग्रिम मृदा)		1051987.20	105198.72	1157185.92
द्वितीय चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम)		131897.60	13189.76	145087.36
तृतीय चरण (अनुरक्षण द्वितीय)		106067.20	10606.72	116673.92
चतुर्थ चरण (अनुरक्षण तृतीय)		106067.20	10606.72	116673.92
पंचम चरण (अनुरक्षण चतुर्थ)		106067.20	10606.72	116673.92
षष्ठम चरण (अनुरक्षण पंचम)		106067.20	10606.72	116673.92
कुल योग-		1608153.60	160815.36	1768968.96
या				1769000.00

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पुवार्यौ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहजहाँपुर

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

उद्दिष्टकर्ता

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।